अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

# पत्रिका

जनवरी 2005 केवल सदस्यों के लिए मूल्य : 4 रुपये

# कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय कन्वेंशन

सी.आइ.टी.यू. की ओर से 17 नवम्बर, 2004 को नयी दिल्ली के राम लीला मैदान में कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। पूरे भारत से हजारों महिलाएं इस कन्वेंशन में भाग लेने के लिये आई थीं; ये महिलाएं जम्मू एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु एवं केरल और पूर्वोत्तर में असम एवं त्रिपुरा; उत्तर भारत के पंजाब एवं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। उनका प्रतिनिधित्व व्यापक था; उनमें संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं के साथ-साथ बैंकों, बीमा, बगीचा, विद्युत बोर्ड, परिवहन, राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों, निर्माण, बीड़ी, बोझा उठाने वाले श्रमिकों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों, गृह आधारित उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों इत्यादि के प्रतिनिधि भी शामिल थे। सी.आइ.टी.यू. की उपाध्यक्ष कामरेड आरती दास गुप्त, राष्ट्रीय सचिव पी रोजा, जनरल कौंसिल सदस्य रंजना निरूला पर आधारित अध्यक्ष मण्डल ने कन्वेंशन की कार्रवाई का संचालन किया। सी.आइ.टी.यू. के अध्यक्ष कामरेड एम.के. पन्धे ने कन्वेंशन का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कामगार महिलाओं के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन तथा प्रसूति लाभ जैसे कानूनी प्रावधान तो हैं किन्तु सरकार उन्हें लागू ही नहीं करना चाहती; इस मामले में उसमें इच्छाशक्ति का सर्वथा अभाव पाया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कामगार महिलाओं को अपनी यूनियनों में और अधिक सक्रिय होकर काम करना होगा; उन्हें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली हजारों

महिलाओं को संगठित करना होगा तथा संघर्षों में लाना होगा। उन्होंने सभी श्रमिक संघों से कामगार महिलाओं की समस्याओं की ओर पहले से भी अधिक ध्यान देने का अनुरोध किया।

सी.आइ.टी.यू. की राष्ट्रीय सचिव कामरेड हेमलता ने देश के दूरवर्ती स्थानों से आने वाली महिलाओं को बधाई दी; उन्होंने कन्वेंशन का 'घोषणापत्र' प्रस्तुत किया (यह घोषणापत्र इसी रिपोर्ट के साथ प्रकाशित किया जा रहा है)। उसमें कामगार महिलाओं की मांगों को रेखांकित किया गया था। कन्वेंशन में प्रमुख रूप से छ:ह प्रमुख मांगों पर बहस केन्द्रित रही। ये मांगें थीं—समान काम के लिये समान वेतन, प्रसूति लाभ तथा शिशु पलना गृहों की व्यवस्था, यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिये कानून बनाना, गृह आधारित उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों तथा घरेलू नौकरों के लिये कानूनी संरक्षण प्रदान करना, महिलाओं से रात्रि पाली में काम जेने पर लगे प्रतिबंध को समाप्त न करना इत्यादि।

सी.आइ.टी.यू. कार्य समिति की सदस्या कामरेड मालती चित्तीबाबू ने बहस की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि यद्यपि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक सख्त काम करती है इस पर भी उन्हें कम पारिश्रमिक दिया जाता है। निर्माण, कृषि, होटलों तथा दुकानों में काम करने वाली कामगार महिलाओं को समान काम के लिये कम वेतन का मिलना जग जाहिर है; उन्हें प्रशिक्षण तथा पदोन्नति के अवसरों से वंचित रखा जाता है। श्रम विभाग उनके मामलों में संवेदनशील नहीं है। उनसे सम्बन्धित कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बहुत कम मामले दर्ज किये जाते हैं, यदि मामले दर्ज होते हैं तो बहुत कम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है; इसके चलते सेवायोजकों के लिये कानून का उल्लंघन किया जाना और भी आसान हो जाता है। उन्होंने श्रम विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन करने की मांग की जो यह देखे कि कामगार महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों पर अमल हो रहा है या नहीं। उन्होंने यह मांग भी की कि जहां कहीं सम्भव हो सके इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिये महिला श्रम अधिकारियों को नियुक्त किया जाए और महिलाओं की समस्याओं के बारे में श्रम विभाग को संवेदनशील होना चाहिये।

केरल की साथी गीता गोपालन ने कामगार महिलाओं के यौन शोषण पर बहस की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने कामकाजी स्थानों में कामगार महिलाओं के यौन शोषण पर फैसला दिया था; उसके बाद सात वर्षों से भी अधिक समय बीत चुका है पर अभी तक उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई कानून बनाया गया है। बहुत कम शिकायत समितियों का गठन किया गया है और उन समितियों की सिफारिशों को शायद ही कभी लागू किया जाता हो। उन्होंने मांग की कामकाजी स्थलों में महिलाओं के यौन शोषण की रोकथाम के लिये तत्काल कानून बनाया जाए और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली कामगार महिलाओं को भी इस कानून के अन्तर्गत लाया जाए और इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर सख्ती से पालन किया जाए।

गृह आधारित उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों विशेष तौर पर कामगार महिलाओं की समस्याओं पर बहस की शुरुआत करते हुए पश्चिम बंगाल की कामरेड निशा राय ने महसूस किया कि भूमण्डलीकरण के चलते प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है; इसके कारण पूंजीवादी श्रेणी उत्पादन के पूरे ढांचे में तबदीली लाने की कोशिश कर रही है और वह पूरे का पूरा बोझ श्रमिकों के धंधों पर लाद देना चाहती है। सेवायोजकों तथा कर्मचारियों के आपसी सम्बन्ध मुखौटे के भीतर आ चुके हैं और ठेकेदारों, दलालों तथा बिचौलियों की एक बड़ी श्रृंखला मजदूरों का शोषण एवं उत्पीड़न करने के लिये तैयार हो चुकी है; ये सभी मजदूर गृह आधारित उद्योग धंधों में काम कर रहे हैं; इनमें से लगभग 70 प्रतिशत कामगार महिलाएं होती हैं। विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक्स के उपकरणों, जूतों, वस्त्र, बीड़ी, अगरबत्ती पापड़ जैसे उत्पादों की एक बड़ी संख्या का उत्पादन गृह आधारित उद्योग धंधों में होता है; इन उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों को न रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाती है और न ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलती है; उन्हें बहुत ही कम वेतन का भुगतान किया जाता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह गृह आधारित उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों पर आइ एल ओ कन्वेंशन की पुष्टि करे और उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करे।

कामरेड रमा ने रात्रि पाली में महिलाओं से काम लेने पर लगी पाबंदी को समाप्त किये जाने से जुड़े मामले पर बहस की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती एनडीए सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा निर्यात प्रसंस्करण अंचलों में कारोबार करने वाले सेवायोजकों के दबाव में आ गई थी और उसने कारखाना अधिनियम में संशोधन करके रात्रि पाली में महिलाओं से काम लेने के लिये अनुमति देने का फैसला कर लिया था। जहां रात्रि पाली का काम महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता है वहीं कामगार महिलाओं के लिये रात्रि पाली में काम करना और भी कठिन है क्योंकि उन्हें अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है; दूसरे रात्रि पाली में काम करके भी उनके लिये दिन में आराम कर पाना लगभग असम्भव होता है। महिलाओं से रात्रि पाली में काम लेने पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किये जाने का विरोध करते हुए कामरेड रमा ने कहा कि जहां कहीं ऐसा किया जाना अपरिहार्य हो वहां परस्पर विचार विमर्श करके और महिलाओं तथा श्रमिक संघों की सर्वानुमति

प्राप्त किये जाने के बाद ही कामगार महिलाओं से रात्रि पाली में काम लेने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार के मामलों में कामगार महिलाओं की सुरक्षा के समुचित प्रबंध किये जाएं और उन्हें घर से लाने और घर वापस पहुंचाने के लिये परिवहन की व्यवस्था की जाए।

कामरेड ललिता शिनोय ने प्रसूति लाभों तथा शिशु पलना गृह की व्यवस्था किये जाने के प्रश्न पर बहस का समारम्भ किया। उन्होंने बताया कि कामगार महिलाओं की एक विशाल संख्या असंगठित क्षेत्र में काम करती है और उनमें से भी अधिकतर महिलाएं कृषि के क्षेत्र में काम करती हैं; इन कामगार महिलाओं को प्रसूति लाभ नहीं दिये जाते। जहां इसके लिये कानूनी तौर पर प्रावधान किया गया है वहां पर भी इसे लागू नहीं किया जाता। इन महिलाओं को बच्चे के जन्म लेने के समय तक काम करना पड़ता है और बच्चे को जन्म देने के कुछ दिन बाद काम पर लौटना पड़ता है। इससे उनकी तथा उनके बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उन्होंने मांग की कि सभी कामगार महिलाओं को प्रसूति लाभ प्रदान किये जाएं और इनमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। इसके लिये सरकार को एक विशेष कोष की स्थापना करनी चाहिए जिसके लिये सरकार तथा सभी सेवायोजकों की ओर से अंशदान दिया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रसव के लिये संस्थागत प्रबंध किये जाने चाहियें; ग्रामीण तथा जन जातीय इलाकों में रहने वाली सभी महिलाएं इन संस्थागत प्रबंधों का लाभ उठा सकें और उन्हें बच्चे को जन्म देने के समय सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाए। इसी प्रकार आंगनवाड़ी केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें शिशु पलना गृह बना दिया जाना चाहिए।

कामरेड शुभा ने घरेलू नौकरों की समस्याओं को लेकर बहस का समारम्भ किया। उन्होंने बताया कि देश में घरेलू नौकरों की संख्या लाखों में है किन्तु उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। उन्हें भयानक किस्म की प्रताड़नाएं व यातनाएं दी जाती हैं जिनमें उनका यौन शोषण भी शामिल है। यदि कभी कभार घर में कोई चोरी हो जाती है तो सबसे पहले उन पर उंगली उठाई जाती है; यह तो अवश्यंभावी हो चुका है। उन्होंने मांग की कि इन श्रमिकों अथवा घरेलू नौकरों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए; उन्हें न्यूनतम वेतन दिये जाएं तथा सामाजिक सुरक्षा के सभी लाभ प्रदान किये जाएं। सभी राज्यों की प्रतिनिधियों ने इन विषयों पर बहस में भाग लिया; उन्होंने अपने-अपने अनुभव बताए; इसके बाद सर्वसम्मति से कन्वेंशन का घोषणा पत्र पारित किया गया। कामरेड हरगोबिन्द कौर ने समेकित बाल विकास सेवा योजना का दर्जा बढ़ाने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को नियमित किये जाने के बारे में एक प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

सी आइ टी यू के महासचिव कामरेड वित्तब्रत मजुमदार ने कन्वेंशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया। उन्होंने कन्वेंशन में सी आइ टी यू की ओर से किये जा रहे उन प्रयासों की जानकारी दी जिनके अन्तर्गत अधिक से अधिक संख्या में कामगार महिलाओं को उनकी मांगों का समाधान कराने के लिये संगठित किया जा रहा है। उन्होंने कामगार महिलाओं से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ कर श्रमिक संघों में शामिल हों और उनकी गतिविधियों में भाग लें। उन्होंने बताया क जहां पूर्ववर्ती एन डी ए सरकार ने कामगार महिलाओं की समस्याओं के बारे में श्रमिक संगठनों के साथ विचार विमर्श किये जाने की कोई जरूरत महसूस नहीं की थी वहीं वर्तमान यू पी ए सरकार इन प्रश्नों पर विचार विमर्श करने की इच्छुक है। किन्तु कांग्रेस के नेतृत्व वाली यह सरकार भी उन्हीं नीतियों का पालन करना चाहती है। कामगार महिलाओं को अपने पुरुष सहयोगियों के साथ मिल कर भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करना चाहिए।

सी आइ टी यू के सचिव कामरेड डब्ल्यू आर वरद राजन ने कन्वेंशन का समापन किया। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन की ओर से पारित घोषणा पत्र केवल कामगार महिलाओं का घोषणा पत्र नहीं है बल्कि यह पूरे सी आइ टी यू का घोषणा पत्र है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कामगार महिलाओं की मांगों को पूरा कराने के लिये सभी प्रकार की आवश्यक कार्रवाईयां करेगा, इनके लिये आंदोलन चलाएगा और अपने अभियान को जारी रखेगा। सी आइ टी यू के सचिव कामरेड तपन सेन ने धन्यवाद भाषण दिया।

जन नाट्य मंच की ओर से कन्वेंशन के अंत में 'वोह बोल उठी' नाटक का मंचन किया गया; यह नाटक अत्यंत प्रेरणादायी था। नाटक के बाद सभी प्रतिनिधियों ने अपने-अपने बैनर, तख्तियां और सी आइ टी यू के झण्डे लेकर संसद की ओर मार्च किया जो बहुत आकर्षक था। प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन भेंट किया गया जिस पर देश भर में दो लाख से अधिक कामगार महिलाओं ने हस्ताक्षर किये थे। क्योंकि प्रधानमंत्री उस दिन दिल्ली से बाहर गए हुए थे इसलिये फैसला किया गया कि उनके वापस लौटने पर एक प्रतिनिधिमण्डल उनसे मिलने जाएगा और यह ज्ञापन भेंट करेगा।

कामगार महिलाओं की कन्वेंशन का आयोजन किये जाने से पूर्व इसके लिये चार महीने तक लगातार अभियान चलाया गया था जिसमें हस्ताक्षर अभियान चलाना, समूह बैठकें करना, द्वार सभागों का आयोजन करना, पर्चे बांटना और अनेक राज्यों में स्थानीय एवं जिला स्तरों पर कन्वेंशन का आयोजन करना भी शामिल है। □

# उनकी जुबानी

वे देश के कोने-कोने से अपनी समस्याओं पर विचार करने हेतु, घर और काम की जगह अपने रोजाना के संघर्षों की गाथाओं से प्रेरित करने और अपने अधिकारों को मांगने हेतु एकत्र हुईं। 17 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल सम्मेलन में भाग लेने आईं कामकाजी महिलाएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों—बैंकों, सरकारी कार्यालयों, फैक्ट्रियों, आंगनवाड़ियों, घरेलू काम में लगी, घर आधारित मजदूर और अध्यापकों ने सम्मेलन में भाग लिया। हालांकि वे संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनकी समस्याएं मौटे तौर पर एक समान हैं—काम के लंबे घंटे, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं, कम वेतन, दयनीय कार्य स्थितियां और यौन उत्पीड़न। जहां असंगठित क्षेत्र की महिलाएं अपने बचाव के लिए कानूनों की मांग हेतु संघर्ष कर रही हैं, वहीं संगठित क्षेत्र की महिलाएं मांग कर रही हैं कि देश में जो भी कानून हैं उनको कड़ाई के साथ लागू किया जाए। जिस समस्या का सभी महिलाओं को सामना करना पड़ता है वह भेदभाव है वे चाहे जिस क्षेत्र में काम करती हों।

## गीता देवी

इन प्रेरणादायी चेहरों में एक महिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश की हैं गीता देवी जिनकी एक टांग और बाजू पर पलस्तर चढ़ा हुआ है, ने कन्वेंशन में भाग लेने के लिए अकेले ही यात्रा की। वे 15 वर्षों से फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों की फैक्ट्रियों में काम करती हैं और काफी मुखर और जुझारू ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता लग रही थीं। नौ माह पहले जब फैक्ट्री में सीटू की यूनियन बनी थी तो वे संघर्ष में शामिल हुईं। "हमारे यहां पूंजीपतियों का राज है। हम केवल काम के नियमित घंटों की मांग कर रहे थे जो कभी कभी तो 12 घंटे तक होते हैं, साथ ही बेहतर वेतन मांग रहे थे। देखो, हमें यह मिला। जब हम आंदोलन कर रहे थे तो फैक्ट्री मालिक ने पुलिस बुलाई और हमें पिटवाया।" वे नाखुश थीं कि कोई और महिला उनके साथ कन्वेंशन में नहीं आई चूंकि वे डरी हुई थीं और पुलिस कार्रवाई उनके दिमाग में थी। उसने कहा, "मुझे कोई रोक नहीं सकता था। मैंने निर्णय किया था कि चाहे जो भी हो मैं दिल्ली जाऊंगी और कन्वेंशन में शामिल हुंगी। मैं यहां ट्रेड यूनियनों और अपनी बहनों का अपने संघर्ष के लिए समर्थन लेने आई हूँ।" जब उनसे उनके निर्णय पर उनके परिवार की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका पति ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल है और उनका समर्थन करता है। उन्होंने स्थानीय पुलिस की बेरहमीपूर्ण कार्रवाई की भयावह कहानी सुनाई। उदाहरण के लिए जब पड़ौस की चूड़ी फैक्ट्रियों के मजदूर पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे कुछ मजदूरों ने अपने टिफिन कैरियरों के साथ अपनी साइकिलें पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी की थीं। बाद में जब वे पुलिस स्टेशन से बाहर आए तो साइकिलें और टिफिन कैरियर गायब थे। बाद में उन्हें पता चला कि स्थानीय पुलिस ने साइकिलों को कुछ धन बनाने के लिए बेच दिया था ताकि मजदूरों को परेशान किया जा सके।

## कल्पना शिंदे

नासिक, महाराष्ट्र की कल्पना शिंदे मृदुभाषी, नरम और कम बोलने वाली हैं किन्तु उनके व्यक्तित्व में महाराष्ट्र के लाखों घरेलू मजदूरों के संघर्ष को आगे बढ़ाने की इस्पाती दृढ़ता दिखाई देती है। उन्होंने अपने साथियों के साथ इन मजदूरों को संगठित करने के लिए दिन रात अभियान चलाया है। नतीजा उत्साहवर्धक रहा है। हमने अपेक्षाकृत कम समय में 4500 मजदूरों को पंजीकृत किया है। उन्होंने बताया कि जो हमारे दायरे से बाहर हैं वे भी हमारे साथ आने के लिए उत्सुक हैं। इस समय संगठन नासिक, शोलापुर, पूणे और सांगली में मजबूत है। किंतु हम नए क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ता उन बस्तियों में नियमित रूप में जाते हैं जहां वे काम करते हैं। वे मीटिंगें करते हैं और प्रचार करते हैं। हम उन लोगों को बताते हैं कि यदि वे एक हो जाएं तो वे चिकित्सा लाभों, पेंशन आदि की मांग कर सकते हैं। इस समय घरेलू मजदूरों के, चाहे वे पुरुष हों या महिला, काम के घंटों की कोई सीमा नहीं है। उन्हें सप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती। यदि वे छुट्टी कर लेते हैं तो मालिक वेतन काट लेते हैं। इसके अलावा महिला घरेलू श्रमिकों के लिए मातृत्व सुविधाएं नहीं हैं। बच्चे के जन्म या किसी बीमारी की स्थिति में उन्हें अपना वेतन खोना पड़ता है। साथ ही जिनके छोटे बच्चे हैं मां के काम पर जाने पर उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता। अत: हम इन सभी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कल्पना ने बताया कि यह उत्साहवर्धक बात है कि अधिक से अधिक महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से हमारे पास आ रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि घरेलू श्रमिकों के रूप में काम करने वाली इन महिलाओं की बड़ी संख्या के पास स्थानीय मिलों और फैक्ट्रियों से भी छटनी हुए मजदूरों की जगह काम करने के लिए संपर्क किया जा रहा है। हमारा संगठन सीटू के साथ, बस्तियों में मीटिंगें आयोजित कर रहा है और यह बता रहा है कि छटनी किए मजदूरों की जगहों को न भरें, किंतु कुछ के लिए आर्थिक मजबूरियां बहुत बड़ी हैं।

कल्पना ने बताया कि उन्होंने इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण के बाद संगठन शुरू किया। इस समय संगठन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए महाराष्ट्र विधान सभा में सामाजिक सुरक्षा विधेयक के लिए अभियान चलाने की योजना बना रहा है।

□

# आंगनवाड़ी फेडरेशन की कार्यकारिणी कमेटी मीटिंग

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर फेडरेशन की कार्यकारिणी कमेटी की बैठक दिल्ली में 8-9 जनवरी 2005 को हुई जिसकी अध्यक्षता फेडरेशन की अध्यक्ष नीलिमा मित्रा ने की। तिरुअनंतपुरम में पिछली मीटिंग के बाद के घटनाक्रम पर कार्यकारिणी ने चर्चा की और फेडरेशन के लिए भविष्य के कार्य तय किए।

देश भर से आए सदस्यों ने रिपोर्ट दी कि आई सी डी एस को नियमित बनाने की मांग करते हुए हस्ताक्षर एकत्र करने के अभियान को काफी अच्छा रेस्पांस मिला। हस्ताक्षर एकत्र करने का काम सभी राज्यों में किया गया। कुछ राज्यों में सार्वजनिक स्थलों पर टेंट लगाए गए थे और आई सी डी एस को नियमित बनाने के महत्व को माइक से, पर्चे आदि बांट कर समझाया गया। लाभार्थियों की ग्रुप मीटिंगें गांवों में की गईं। 26 लाख से भी अधिक हस्ताक्षर अखिल भारतीय केंद्र में पहुंच चुके हैं जबकि और कई लाख हस्ताक्षर प्रोजेक्ट और जिला केंद्रों पर पहुंच चुके हैं किंतु अखिल भारतीय केंद्र में नहीं पहुंच सके हैं। कार्यकारिणी कमेटी ने फरवरी के अंत तक अभियान पूरा करने का निर्णय लिया गया।

कार्यकारिणी कमेटी ने एकत्र किए गए लगभग 2 करोड़ हस्ताक्षरों को एच आर डी मंत्री अर्जुन सिंह को, अप्रैल 2005 में संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में एक कन्वेंशन के बाद पेश किया जाएगा। इसने कन्वेंशन के लिए सभी राज्यों से हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों को लामबंद किया है।

फेडरेशन की जनरल सेक्रेट्री हेमलता ने रिपोर्ट पेश की। उन्होंने योजना आयोग के सैयद हमीद के साथ बातचीत के बारे में बताया, जिसने मांग को सहानुभूतिपूर्ण सुना और सहमति व्यक्त की कि आई सी डी एस को नियमित किया जाए और आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स को सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमित किए जाने की जरूरत है। कार्यकारिणी कमेटी ने फेडरेशन की पांचवीं कान्फ्रेंस 2004 की सदस्यता के आधार पर लगभग 500 डेलीगेटों के साथ बंग्लोर में सितंबर में आयोजित करने का निर्णय लिया। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए आई सी डी एस के महत्व पर एक सेमीनार कान्फ्रेंस के अवसर पर आयोजित की जाएगी। देश में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघर्षों पर एक पुस्तिका भी इस अवसर पर प्रकाशित की जाएगी। अगस्त 2005 से पहले सदस्यता के आधार पर और चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ सेक्टर, प्रोजेक्ट, जिला और राज्य कान्फ्रेंसों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। राज्य कान्फ्रेंसें अखिल भारतीय कान्फ्रेंस के लिए प्रतिनिधि चुनेंगी। कान्फ्रेंस के अवसर पर पर्चों, पोस्टरों, ग्रुप मीटिंगों, कन्वेंशनों, सेमीनारों आदि के जरिए अभियान चलाने और लाभार्थियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। □

# छठी बंगाल राज्य कान्फ्रेंस

पश्चिम बंगाल आई सी डी एस कर्मी समिति की छठी राज्य कान्फ्रेंस कल्ना, बुर्दवान जिला में 29-31 अक्टूबर को आयोजित की गई। कान्फ्रेंस यूनियन की 2003 की सदस्यता जो 47,163 थी के आधार पर आयोजित की गई। राज्य कान्फ्रेंस से पहले प्रोजेक्ट और जिला स्तरीय कान्फ्रेंस पूरी की गईं। सदस्यता के अनुरूप राज्य कान्फ्रेंस के लिए 100 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि चुना गया। 50,000 पर्चे और 15,000 पोस्टर कान्फ्रेंस की तैयारी के लिए छपवाए और बंटवाए गए। स्वागत समिति ने रक्तदान शिविरों और बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और इस अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित की।

यूनियन की अध्यक्षा और एम एल ए निरूपमा चटर्जी द्वारा 29 अक्टूबर को झंडा फेहराए जाने के साथ कान्फ्रेंस आरंभ हुई। कई जनसंगठनों जैसे एडवा, किसान सभा, नौजवानों, छात्रों और अध्यापकों के संगठनों के नेताओं ने कान्फ्रेंस के खुले सत्र में भाग लिया जिसका उद्घाटन सुभाष चक्रवर्ती, परिवहन और क्रीडा मंत्री व सीटू राज्य कमेटी सचिव ने किया। स्वागत समिति की अध्यक्षा और पूर्व मंत्री अंजू कार ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

राज्य कमेटी सदस्यों और सलाहकार कमेटी सदस्यों समेत 518 डेलीगेटों ने कान्फ्रेंस में भाग लिया। यूनियन की महासचिव रत्ना दत्ता ने 5वें कान्फ्रेंस के बाद की गतिविधियों और संगठन पर रिपोर्ट पेश की। सदस्यता में वृद्धि को नोट करते हुए रिपोर्ट में प्रोजेक्ट कमेटियों के काम को मजबूत करने और आंगनवाड़ी कर्मचारियों की चेतना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया गया जिससे सदस्यता को और बढ़ाने के लिए संभावनाओं का उपयोग करने में मदद मिलेगी। 28 डेलीगेटों ने चर्चा में भाग लिया जिसके बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। कान्फ्रेंस को चार कमीशन पेपरों पर चर्चा के लिए चार भागों में बांटा गया— 'संगठन', ' आई सी डी एस को नियमित बनाना', 'उद्योग में महिलाएं' और 'सेवा क्षेत्र में आई सी डी एस का महत्व'। डेलीगेटों ने कमीशनों में चर्चा में उत्साहपूर्वक भागीदारी की।

कान्फ्रेंस ने एक 63 सदस्यीय राज्य कमेटी का चुनाव किया। निरूपमा चटर्जी, रत्ना दत्ता और मनासी दास क्रमशः अध्यक्ष, जनरल सेक्रेट्री और कोषाध्यक्ष चुनी गईं। □

# पंजाब में समीक्षा बैठक

आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन, पंजाब ने 18-19 दिसंबर 2004 को चंडीगढ़ में विस्तारित कार्यकारिणी कमेटी की दो दिवसीय मध्यावधि समीक्षा बैठक आयोजित की। राज्य के 17 जिलों में से 15 जिलों से यूनियन की 110 कार्यकर्ताओं, सभी अध्यक्षों और ब्लॉक कमेटियों की जनरल सेक्रेट्रियों ने बैठक में भाग लिया।

मीटिंग का उद्घाटन करते हुए अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स फेडरेशन की महासचिव हेमलता ने कहा कि केंद्र में सरकार बदली है लेकिन अपनाई जा रही नीतियां कमोबेश वेसी ही हैं। कांग्रेस नेतृत्व की यू पी ए सरकार भी सब्सीडियों और कल्याणकारी उपायों को वापस लेने की कोशिश कर रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों को पंचायतों को सौंपने की कोशिशें जारी हैं। इस संबंध में उन्होंने संगठन को मजबूत करने और आई सी डी एस के जरिए प्रदान की जा रही सेवाओं को नियमित कराने तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों की स्थितियों को सुधारने के लिए संघर्ष के साथ-साथ सरकार की मजदूर विरोधी-जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भी संघर्ष तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट कमेटियों के काम में सुधार लाकर निचले स्तर पर यूनियन को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।

यूनियन अध्यक्ष हरगोबिंद कौर ने समीक्षा के लिए यूनियन की रिपोर्ट पेश की। चौथी अखिल भारतीय कान्फ्रेंस के निर्णयों का स्मरण कराते हुए रिपोर्ट में राज्य केंद्र को मजबूत करने, जिला और राज्य कमेटी फंक्शनिंग को सुधारने, कैडर विकास और उनकी चेतना ऊपर उठाने, यूनियन को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय मुद्दों, खासतौर से हेल्परों की समस्याओं को उठाने के महत्व पर जोर दिया। हरगोबिंद ने कहा कि हालांकि कुछ पहलुओं पर कुछ सुधार है कैडर विकास और उन्हें शिक्षित करने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है।

प्रतिभागी जिलावार समूहों में बंट गए और रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की और उसे पारित किया। मीटिंग में जिला स्तर और जोन स्तर पर कक्षाएं आयोजित करने की कोशिश की तथा कैडर विकास करने का निर्णय लिया गया। सभी प्रतिनिधियों ने जिला और प्रोजेक्ट कमेटियों के कामकाज में सुधार करने की जरूरत पर सहमति व्यक्त की। यूनियन की द्वैमासिक पत्रिका 'आंगनवाड़ी बुलारा' और अखिल भारतीय केंद्र से प्रकाशित 'पत्रिका' की सर्कुलेशन बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। □

# 'परफेक्ट अपरेल्स' में यूनियन नेताओं पर हमला

बंगलोर में 'परफेक्ट अपरेल्स' गार्मेंट फैक्ट्री में लगभग 300 मजदूर काम करते हैं जिनमें से 290 महिलाएं हैं। यहां सीटू की एक यूनियन बनाई गई थी चूंकि फैक्ट्री में स्थिति वास्तव में दयनीय है। मजदूरों को 13 वर्ष तक काम करने के बावजूद मात्र 2500 रु. अदा किए जाते हैं। पी एफ, ई एस आई आदि कट कर उन्हें केवल हाथ में 1900 रु. मिलते हैं। नए प्रबंधन के आने पर केवल 18 से 25 वर्ष की अविवाहित महिलाओं को ही नौकरी पर रखा जाता है। मजदूरों से लक्ष्य को हासिल करने के लिए देर तक काम करना पड़ता है किंतु कोई ओवरटाइम भुगतान नहीं किया जाता। फैक्ट्री में कोई क्रैच सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। प्रबंधन मजदूर की, यदि वह यूनियन सदस्य हैं, उसके बीमार होने पर या परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर बीमारी के दौरान छुट्टी मंजूर नहीं करता। टायलेट का उपयोग करने के लिए टोकिन सिस्टम है और प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि एक मजदूर की बारी दिन में केवल एक बार आए।

28 दिसंबर 2004 को फैक्ट्री प्रबंधक ने कुछ सीटू यूनियन सदस्यों के साथ मारपीट की और उसने यदि वे यूनियन से तुरंत त्यागपत्र नहीं देते तो गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

घटना तब हुई जब प्रबंधन श्री सुंदरेशन ने दो महिलाओं, रतनम्मा उम्र 43, और जयलक्ष्मी उम्र 32 (जो 13 वर्षों से फैक्ट्री में काम कर रही हैं) समेत 5 यूनियन नेताओं को साथ की एक खाली बिल्डिंग में, स्पष्ट तौर पर मामलों पर बात चीत करने के लिए बुलाया था।

चर्चा के दौरान प्रबंधक के पास कुछ फोन काल आए जिसके बाद दस अजनवी जिनमें 5 महिलाएं थीं, वहां आए। महिलाओं ने महिला मजदूरों के साथ कुछ तुच्छ विषयों पर झगड़ा शुरू कर दिया। महिला मजदूरों ने इन महिलाओं के साथ कोई डीलिंग होने से इंकार किया जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। महिला गुंडों ने रत्नम्मा को पीटना शुरू कर दिया और जब जयलक्ष्मी बचाव के लिए सीनियरों के पास गई तो उसे चप्पलों से पीटा गया। पुरुष मजदूरों को भी दूसरे पुरुषों ने पीटा। प्रबंधन ने नेताओं को यह आरोप लगाते हुए कि वे फैक्ट्री का माहौल खराब कर रहे हैं पीटने के लिए अजनबियों को उत्साहित किया। पड़ौस में कैंटीन में एक मजदूर ने कोलाहल सुना और तुरंत दूसरे मजदूरों को चौकन्ना कर दिया। पुरुष गुंडों ने खतरा महसूस किया और भाग गए जबकि महिला गुंडा लेडीज टायलेट में छिप गईं। प्रबंधन ने खतरा महसूस किया और तुरंत बिल्डिंग का ताला लगा दिया। पूरी कहानी तभी सामने आई जब टायलेट में छिपी महिला गुंडों को घेर लिया गया और उन्हें सच्चाई बताने पर मजबूर किया गया। यह नेताओं से छुटकारा पाने के लिए पूर्वनियोजित योजना थी चूंकि सीटू कामरेडों ने मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था और फैक्ट्री में मजदूर-विरोधी स्थितियों के खिलाफ आवाज उठाई थी।

सीटू नेताओं ने पुलिस को सूचित किया और प्रबंधक और महिला गुंडों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जिन्हें हिरासत में ले लिया गया किंतु एक घंटे के बाद छोड़ दिया गया। सीटू, डब्ल्यू डब्ल्यू सी सी और जे एम एस ने प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की। अब मजदूरों को यूनियन छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रबंधन धमकियां दे रहा है कि दो मजदूर जिन्होंने यूनियन छोड़ दी है की हत्या कर दी जाएगी और महिला यूनियन नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा ताकि उन्हें हत्या के आरोप में दोषी बनाया जा सके।

□

# आंगनवाड़ी कर्मचारियों का कलेट्रियों पर मार्च

आंध्रप्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के निर्णय के अनुरूप आंध्रप्रदेश की हजारों आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने 13 दिसंबर को जिला कलेट्रियों पर मार्च किया। वे अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त वेतन और मुख्य मंत्री वाइ एस राजशेखर रेड्डी के वायदे के अनुरूप सुपरवाइजरों के पदों के लिए टेस्ट आयोजित करने की मांग कर रही थीं।

23 जिलों में लगभग 35,000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने जुलूसों में भाग लिया जो जिला कलेट्रियों पर आकर खत्म हुए। कुछ जिलों में हजारों कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर के कार्यालयों के सामने धरना दिया। सभी जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दिए गए।

ककिनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला मुख्यालय में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक प्रोग्राम ऑफीसर कार्यालयों का घेरा डाला। राज्य व्यापी मांग के अलावा उन्होंने बाल विकास प्रोजेक्ट ऑफीसर के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की मांग कर रही थीं जो भ्रष्टाचार और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के उत्पीड़न में लिप्त.हैं। सी डी पी ओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इससे पहले लगभग एक माह तक प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। जिला कलेक्टर और उच्च अधिकारियों द्वारा की गई जांच से उजागर हुआ कि सी डी पी ओ वास्तव में भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त थीं। किंतु उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 13 दिसंबर की शाम को संबद्ध सी डी पी ओ को निलंबित करते हुए आदेश जारी किए गए।

आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल इसकी जनरल सेक्रेट्री रोज और राज्य में विधान सभा में सी पी आई (एम) नेता नोमुला नरसिम्हाय्या के नेतृत्व में 14 दिसम्बर को मुख्य मंत्री से मिला और एक ज्ञापन सौंपा। मुख्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार अगले वर्ष अप्रैल से अतिरिक्त पारिश्रमिक अदा करेगी और सुपरवाइजरों के पदों के लिए जल्द ही टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने पहले आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मानदेय से बजट नियंत्रण को हटा लिया था। यूनियन ने विधान सभा के बजट सत्र तक इंतजार करने और मुख्य मंत्री के वायदे के अमल पर निर्भर करते हुए आगे की कार्रवाई तय करने का निर्णय लिया। सरकार पर और दबाव बढ़ाने के लिए संगठन को मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया।

□

# छत्तीसगढ़: आंगनवाड़ी कर्मियों पर प्रशासनिक अत्याचारों की निंदा

डोंगर गांव परियोजना, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के ग्राम सालिक झिटिया की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रामकुमारी को 28 अगस्त, 2004 को अचानक कार्य-मुक्त कर दिया गया। उनकी जगह इसी गांव की श्रीमती तरुण बाई की (शर्तों के आधार पर)नियुक्ति कर दी गई, जिन्हें ग्राम सभा ने पहले अपात्र घोषित कर दिया था।

गौरतलब है कि रामकुमारी ने 5 वर्षों तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आइसीडीएस का काम पूरी निष्ठा और कुशलता से किया। उन्हें सरकार की ओर से कई बार इनाम और प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। उन्होंने कई महिला समूहों का निर्माण भी किया, जिनकी वह मास्टर ट्रेनर थीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के एक अखिल भारतीय प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था, जहां वह प्रथम आई थीं। लेकिन, राज्य में भाजपा के सत्ता में आते ही छुटभैये भाजपा नेताओं ने दाब-धौंस और तिकड़म करके रामकुमारी को काम से निकलवा दिया। इसके खिलाफ वह अदालत गईं और सारे दस्तावेज कलेक्टर के सामने प्रस्तुत किए। इन दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उन्हें स्टे मिल गया। अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

इसके बाद रामकुमारी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन (सीटू) से संपर्क किया। इस मसले पर यूनियन ने 24 नवंबर, 2004 को धरना-प्रदर्शन आयोजित किया। इस मौके पर एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें सी आइ टी यू राज्य महासचिव मानस कुमार नंदी भी शामिल थे, अतिरिक्त जिलाधीश से श्रीमती रामकुमारी के रुके हुए वेतन के बारे में जानकारी मांगी। जिलाधीश ने तुरंत हस्तक्षेप करने का आश्वासन दिया और अन्य मांगों के बारे में ध्यानपूर्वक बातें सुनीं।

इसी तरह, लिटिया, राजनांदगांव परियोजना की घटना को जिला परियोजना अधिकारी के समक्ष उठाया गया। बताया जाता है कि गांव का पंच अपनी पुत्रवधू को सहायिका के पद पर नियुक्त करवाना चाहता था। इसके लिए उसने गुप्त रूप से परियोजना अधिकारी को 10,000 रु0 की रिश्वत दी थी। पंच ने सरपंच (महिला) पर दबाव डाला कि ग्राम सभा उसकी पुत्रवधू के नाम का प्रस्ताव जिला परियोजना कार्यालय को भेजे। सरपंच के इनकार करने से मामला उजागर हो गया। लिटिया गांव की कार्यकर्ता 24 नवंबर को अपने साथ सरपंच को भी लेकर आई और यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर और जिला परियोजना अधिकारी के समक्ष सारा मामला रखा। अधिकारियों ने उसे नियमानुसार काम करने की सलाह दी।

यूनियन ने इस धरना-प्रदर्शन के बाद अन्य परियोजनाओं की कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से संपर्क कर उन्हें भी यूनियन से जोड़ने की योजना तैयार की है। धरना-प्रदर्शन के दौरान यूनियन ने पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी वापस लेने और जनता को राहत देने की मांग संबंधी प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया। धरने में मंडी यूनियन के महिला व पुरुष कार्यकर्ता भी शामिल हुए। श्रीमती अरुणा वैष्णव, श्रीमती कीर्ति साहू और कुमारी धनेश्वरी जोशी ने धरने का संचालन किया। धरने मे कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने विचार व्यक्त किए।

□

# अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ( एडवा ) की 7वीं राष्ट्रीय कान्फ्रेंस

एडवा की 7वीं राष्ट्रीय कान्फ्रेंस 18 से 21 नवंबर 2004 को भुवनेश्वर में हुई। कान्फ्रेंस का उद्घाटन कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। इसमें 22 राज्यों से 868 डेलीगेटों ने भाग लिया।

कान्फ्रेंस ने नोट किया कि नवउदारवादी नीतियों के महिलाओं के लिए चौकाने वाले अनुभव रहे हैं। उन्हें और भी किनारे डाला गया है चूंकि वे सस्ते श्रम का श्रोत हैं। और अधिक असमानताएं, शोषण, यौन हिंसा आर वैश्विक व्यापार में नाटकीय वृद्धि इसका नतीजा है। इसका विरोध करने के लिए जुझारू संयुक्त आंदोलनों की जरूरत है।

हमारे देश में एन डी ए शासन में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं के हितों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि सांप्रदायिक शक्तियों को चुनाव में धक्का लगा है वे अपने मौजूदा सामाजिक आधार का उपयोग सांप्रदायिक मुद्दों के आधार पर हमारे समाज को बांटने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। जनसंख्या के मुद्दे को साम्प्रदायिक आधार पर निरंतर उठाया जाता है, हालांकि इसका संबंध गरीबी और अशिक्षा से है।

एक और प्रतिगामी प्रवृत्ति महिलाओं को सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा रीतिरिवाजों के आधार पर लामबंद करना है। इसके अलावा धार्मिक रीतिरिवाजों का व्यावसायीकरण बाजार अर्थव्यवस्था और साम्प्रदायिक प्रचार के बीच गठजोड़ को मजबूत कर रहा है।

यू पी ए के तहत जनतांत्रिक आकाक्षाओं के लिए स्पेस बढ़ रहा है। यू पी ए सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के महत्व, जिसमें महिला और गरीब समर्थक आश्वासन है, को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से योजनाओं को लागू करने के लिए आबंटन और कार्यकारी उपाय सामने नहीं आ रहे हैं। वायदों—जिनमें महिला आरक्षण विधेयक पारित करना, जनवितरण प्रणाली (पी डी एस) को मजबूत करना, रोजगार गारंटी कानून लाना, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों के लिए अधिक धन का आबंटन आदि शामिल हैं—को हासिल करना है जिसके लिए व्यापक लामबंदी और निरंतर लॉबियिंग की जरूरत है।

गरीबों के लिए लक्षित नीति गरीबों को वास्तव में राशन प्रणाली से अलग करने का तरीका बन गई है और पूरी पी डी एस को सर्वव्यापी कवरेज की ओर लौट कर मजबूत करने की जरूरत है।

दलित महिलाओं के जारी उत्पीड़न और एस सी / सी टी कानून को ठीक से लागू न किए जाने की ओर मुख्य ध्यान दिया गया। आदिवासी महिलाओं को दरकिनार किया जाना और उनका शोषण चिंताजनक है, और उन्हें जंगल की छोटी-मोटी पैदावार से भी वंचित किया गया है किंतु आदिवासी नीति के मसौदे में इस पहलू का कोई जिक्र नहीं है। हाल ही में कृषि संकट के कारण आजीविका की खोज में लोगों का विस्थापन हुआ है। आदमी, औरत पूरे परिवार गांव छोड़ रहे हैं किंतु संकट की घड़ी में बड़े पैमाने पर पलायन को सरकार ने नहीं माना है। इस समस्या को उठाना होगा।

महिलाओं के खिलाफ बढ़ी हिंसा, यौन उत्पीड़न, समयबद्ध प्रभावी कानूनी राहत की कमी, मीडिया में तोड़-मरोड़ कर खबरों का आना और, और ज्यादा हिंसा पैदा करने वाला अपमानजनक नजरिया, मौत की सजा का मुद्दा—सब प्रमुखता के साथ सामने आए। आतंकवाद से लड़ने में त्रिपुरा के अनुभव को काफी महत्वपूर्ण माना गया और त्रिपुरा के कामरेडों का उनके भारी साहस और कुर्बानी के लिए आदर किया गया।

बच्चों के यौन अनुपात में भारी कमी, खासतौर से दहेज के कारण शिक्षित वर्ग में; पुत्र को प्राथमिकता और चिकित्सा तकनीकी का दुरुपयोग गहरी चिंता के विषय रहे। पी एन डी टी कानून पारित होने के बावजूद डाक्टरों के खिलाफ कार्रवाई बहुत ही ढुलमुल रही है। बढ़े हुए अपहरण या गरीब क्षेत्रों से 'दुलहनों' की खरीद लिंग चुनाव में छिपी हिंसा के दायरे को उजागर करते हैं। इसके लिए एक अभियान की जरूरत है।

एडवा के हस्तक्षेप को मजबूत करने के हिस्से के तौर पर डेलीगेटों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। काम और संगठन की रिपोर्ट के निष्कर्ष से एडवा की बहुआयामी प्रकृति और स्थानीय कार्रवाइयों को व्यापक नितिगत प्रारूप से जोड़ने का पता चलता है।

भविष्य के काम में निम्नलिखित को शामिल किया गया है :

1. महिला आरक्षण विधेयक के लिए आंदोलन को मजबूत करना।
2. दो बच्चे के मानक को जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के तौर पर पेश किए जाने का सख्त विरोध करना।
3. मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों को उठाना, उन्हें आरंभ में रोजमर्रा के और आजीविका के मुद्दों के गिर्द लामबंद करना।
4. एस एच जीज की फंक्शनिंग में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना कि उनका अफसशाहीकरण न हो।
5. चरमपंथी ताकतों के खिलाफ नियमित राजनीतिक अभियान के साथ साथ और ज्यादा स्थानीय संपर्क को प्रोत्साहित करना।
6. घरेलू मजदूरों, घर आधारित श्रमिकों, आदिवासियों, प्रवासियों, दलितों के मुद्दों को उनकी ठोस मांगों के साथ उठाना।
7. विशेष समूहों जैसे विकलांगों, खिलाड़ियों, युवा अविवाहित महिलाओं, और महिला प्रमुख परिवारों की जरूरतों को संबोधित करना।

एक 95 सदस्यीय केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव किया गया जिसमें सुभाषिणी अली अध्यक्ष, सुधा सौंदरारमन महासचिव और बोनानी बिस्वास कोषाध्यक्ष चुनी गईं। □

# आई सी डी एस के नियमितीकरण के लिए मानव संसाधन मंत्री को सौंपा जाने वाला ज्ञापन जिस पर हस्ताक्षर एकत्र किए जा रहे हैं और 25 लाख से भी अधिक हस्ताक्षर अखिल भारतीय ए आई एफ ए डब्ल्यू एच केंद्र में पहुंच चुके हैं

सेवा में,

माननीय श्री अर्जुन सिंह जी,
मानव संसाधन विकास मंत्री,
भारत सरकार, शास्त्री भवन
नई दिल्ली।

**विषय : आई.सी.डी.एस को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ''एकीकृत महिला और बाल विकास विभाग'' में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।**

श्रीमान जी,

एकीकृत बाल विकास योजना, लगभग 30 वर्ष पहले देश में शुरू की गई थी जो कि आज एक संस्था का रूप ले चुकी है और देश भर में इसका प्रसार हो चुका है। इसका मुख्य कार्य करने वाली आगनवाड़ी वर्करज एवं हैल्परज, आंगनवाड़ी क्षेत्र में बहुआयामी (विभिन्न प्रकार की) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन नियमित सरकारी विभाग में बदलने से यह संस्था और सुदृढ़ होगी और देश में गरीब बच्चों व महिलाओं के उत्थान के लिए दूरगामी और महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकेगा।

इस आई.सी.डी.एस योजना के शुरुआती उद्देश्य जो भी रहे हों, फिर भी आंगनवाड़ी वर्करज के आम जनता के साथ नजदीकी सम्पर्क होने के कारण सरकार द्वारा इनकी सेवाओं को अन्य विभागों में, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व विभाग, पंचायती राज आदि में भी लिया जाता है। दूसरी अन्य सेवाएं जिसमें आंगनवाड़ी वर्करज का योगदान लिया जाता है, स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है जैसे ओ.आर.एस. के विषय में जनचेतना पैदा करना, ऊपरी सांसक्रिया संक्रमण रोगों के विषय में जनचेतना, परिवार कल्याण, जन्मदर नियन्त्रण के विषय में शिक्षा व प्रोत्साहन, पल्स पोलियो, जन्म-मृत्यु दर का रिकार्ड रखना, विभाग को जानकारी देना और शिक्षा विभाग से सम्बन्धित पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान, डीपीईपी, गैर पारम्परिक शिक्षा (non formal education), प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन आदि में भी आंगनवाड़ी वर्करज की सक्रिय भूमिका निभानी पड़ रही है।

कुछ राज्यों में, लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहित व लागू करने, समूह बीमा योजना, स्वयं सहायता समूह गठित करने, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण करने, कुष्ठ निवारण सर्वेक्षण, अन्ध निवारण सर्वेक्षण, किशोरी योजना सर्वेक्षण, पशुओं के सर्वेक्षण आदि कार्यों के लिए भी आंगनवाड़ी वर्करज की सेवाएं ली जाती है। यद्यपि एकीकृत बाल योजना के अन्तर्गत, आंगनवाड़ी वर्करज एवं हैल्परज का केवल साढ़े चार घण्टे दिन में काम करना होता है। परन्तु उपरोक्त जिम्मेदारियाँ जो समय समय पर दी जाती हैं का पूरा करने हेतू 6-7 घण्टे एक दिन में काम करना पड़ता है।

परन्तु दुर्भाग्यवश 30 वर्ष के बाद भी एकत्रित बाल विकास योजना (I.C.D.S.) एक स्कीम के तौर पर ही चल रही है और इसमें काम करने वाली आंगनवाड़ी वर्करज एवं हैल्परज को सरकारी कर्मचारी तक का दर्जा नहीं दिया गया। बहुत कम मानदेय दिया जाता है। उन्हें कोई सेवा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। दसियों वर्ष की सेवा के बाद भी बुढ़ापे में आर्थिक सहायता, आर्थिक सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता और भूखे रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उनकी पदोन्नति आदि के लिए भी कोई योजना नहीं है इसलिए हम मांग करते हैं कि :-

1. हम प्रदेश में रहने वाले इस योजना के लाभार्थी और आंगनवाड़ी वर्करज एवं हैल्परज दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आंगवाड़ी वर्करज एवं हैल्परज को एकीकृत महिला और बाल विकास विभाग के तौर पर सरकारी और नियमित विभाग बनाया जाए।

2. आंगनवाड़ी केन्द्रों को विकसित और मजबूत किया जाए ताकि अपने क्षेत्र में बच्चों व महिलाओं के समुचित विकास से सम्बन्धित गतिविधियों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

3. आंगनवाड़ी वर्करज एवं हैल्परज जो कि आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बहुआयामी सेवाएं प्रदान कर रही है को इस विभाग में नियमित कर्मचारी किया जाए तथा सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले तमाम लाभ उन्हें मिलने चाहिए। जब तक सरकार यह नहीं करती, आंगनवाड़ी वर्करज का तृतीय श्रेणी कर्मचारियों व हैल्परज की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिए जाएं।

हम आशा करते हैं कि आप उपरोक्त लिखित मांगों पर गम्भीरता से विचार कर स्वीकार करेंगे और उसके लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

*निवेदक गण,*

| क्र. सं० | नाम | गांव | जिला | राज्य | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

# कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय कार्यशाला

कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) की ओर से 18-19 नवम्बर, 2004 को नयी दिल्ली में कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 81 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया जो देश के 12 राज्यों से आए थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पश्चिम बंगाल की साथी निशा राय ने की। यह कार्यशाला चार सत्रों में सम्पन्न हुई तथा उनमें बहस के लिये चार विषय लिये गए। ये विषय थे—कामगार महिलाओं की मांगों पर अभियान को जारी रखना, गशह आधारित काम धंधों में लगे श्रमिकों, घरेलू नौकरों, मछुआरों एवं मत्स्यपालन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करना, नर्सों के अखिल भारतीय आंदोलन का निर्माण करना और सभी राज्यों तथा जिला व यूनियन स्तरों पर कामगार महिलाओं की समन्वय समितियों एवं उप समितियों का गठन करना। इन सभी विषयों पर पृष्ठभूमि आलेख कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की सचिव हेमलता की ओर से पेश किये गए।

कामगार महिलाओं की मांगों पर अभियान जारी रखने के विषय पर प्रस्तुत पृष्ठभूमि आलेख में उल्लेख किया गया कि पिछले चार महीनों में चलाए गए अभियान के लिये कामगार महिलाओं का बहुत अच्छा प्रत्युत्तर मिला है, विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र में। प्रत्येक क्षेत्र में कामगार महिलाओं की मांगों को उठाकर इस अभियान को जारी रखे जाने की आवश्यकता है। इस अभियान के फलस्वरूप नये उद्योगों तथा क्षेत्रों में यूनियन का गठन होना चाहिये और यूनियनों को कामगार महिलाओं की विशेष समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये। कार्यशाला में फैसला किया गया कि हस्ताक्षर अभियान को जारी रखा जाएगा और फरवरी 2005 में उसी दिन राज्यों के राज्यपालों को ज्ञापन दिये जाएंगे।

दूसरे सत्र का समय गृह आधारित उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों, घरेलू नौकरों, मछुआरों तथा मत्स्यपालन उद्योग के श्रमिकों को संगठित किये जाने के विषय पर बहस करने के काम में लगाया गया। इस सत्र में प्रस्तुत पृष्ठभूमि आलेख में बताया गया कि राज्य समन्वय समितियों के लिये सी. आइ. टी. यू. की राज्य समितियों के साथ विचार विमर्श करके अपने कामों की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना जरूरी है और उसके बाद गृह आधारित उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करने का काम किया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि गृह आधारित उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करते समय उन श्रमिकों को पहल दी जानी चाहिए जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं।

लाखों लोग घरेलू नौकरों के रूप में देश के शहरों तथा छोटे एवं मंझौले नगरों में काम करते हैं। इनमें से 99 प्रतिशत महिलाएं हैं। उन्हें काम पर रखे जाने के समय नियुक्ति पत्र नहीं दिये जाते, न्यूनतम वेतन नहीं दिये जाते और न ही किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। उन्हें प्राय: बेहद हैरान परेशान किया जाता है जिसमें उनका यौन शोषण भी शामिल है; इसके अतिरिक्त उन पर चोरी जैसे निराधार आरोप लगाए जाते हैं। क्योंकि उनकी समस्याएं बहुत गम्भीर हैं इसलिये वे यूनियन में शामिल होने की इच्छुक होती हैं ताकि वे संघर्ष करके अपनी समस्याओं को सुलझा सकें। आलेख में मछुआरों तथा मत्स्यपालन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित किये जाने के महत्व पर बल दिया गया जिनमें कामगार महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या होती है।

कार्यशाला ने गृह आधारित उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों के बीच सर्वेक्षण कार्य जारी रखने, जहां कहीं सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका हो वहां उनके आंकड़ों को तैयार करने और 8 मार्च, 2005 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश के सभी जिला मुख्यालयों तथा राज्यों की राजधानियों में संवाद्दाता सम्मेलनों का आयोजन करके उनमें गृह आधारित उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों की मांगों की चर्चा किये जाने का फैसला किया गया। यह फैसला किया गया कि एक प्रश्नावली तैयार करके घरेलू नौकरों / नौकरानियों के बीच जाकर सर्वेक्षण कराया जाएगा; प्रश्नावली केन्द्र की ओर से भेजी जाएगी। घरेलू नौकरों / नौकरानियों की समस्याओं को उठाने तथा उनकी ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिये अप्रैल मास में जिला मुख्यालयों तथा राज्यों की राजधानियों में संवाद्दाता सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा।

कार्यशाला का तीसरा सत्र नर्सों के अखिल भारतीय आंदोलन को विकसित करने के काम पर विचार करने में लगाया गया।

यह फैसला किया गया कि निजी अस्पतालों के कर्मचारियों जिनमें नर्सें भी शामिल हैं, को संगठित करने के लिये प्रयास किये जाएं और सी.आइ.टी.यू. से कहा जाए कि वह नर्सों के अखिल भारतीय आंदोलन को संगठित करने के बारे में निर्णय लें।

कार्यशाला में विचार व्यक्त किया गया कि अनेक राज्यों में कामगार महिलाओं की समन्वय समितियों एवं उप समितियों के गठन तथा उनकी गतिविधियों में काफी सुधार आया है। राज्य समन्वय समितियों तथा जिला समन्वय समितियों की बैठकें अब और अधिक नियमित रूप से होने लगी हैं। इन प्रयासों को जारी रखा जाना चाहिये। कार्यशाला में सी.आइ.टी.यू. के दसवें महाधिवेशन में प्रस्तुत एवं पारित कमिशन के आलेख 'कामगार महिलाएं—वर्गीय परिप्रेक्ष्य' में की गई सिफारिशों को फिर से दोहराया गया। कार्यशाला में जोर देकर कहा गया कि सी.आइ.टी.यू. की विभिन्न समितियों को यह यकीनी बनाने के लिये कि कामगार महिलाओं के बारे में लिये गए फैसले जोरदार ढंग से लागू किये जाएं तथा इस मामले में और अधिक सक्रियता से काम किया जाए।

# सीटू प्रतिनिधिमंडल कामकाजी महिलाओं की मांगों को लेकर श्रम और रोजगार मंत्री से मिला

कामकाजी महिलाओं की सामूहिक कन्वेंशन के निर्णय के अनुरूप एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें एम के पंधे, अध्यक्ष सी आई टी यू, के हेमलता सचिव सी आई टी यू और ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू, रंजना निरूला और ए आर सिंधु, ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू सदस्य शामिल थीं केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री के चंद्रशेखर राव से 13 जनवरी को मिला और कामकाजी महिलाओं पर एक ज्ञापन दिया।

एक बैठक जो एक घंटे से अधिक चली, में भारत में कामकाजी महिलाओं के सामने जो समस्याएं हैं उन पर विस्तार से चर्चा हुई। सी आई टी यू द्वारा उठाई गई मुख्य मांगें वही थीं जो 17 नवंबर 2004 को नई दिल्ली में सामूहिक कन्वेंशन में पारित ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू के मांग पत्र में हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने श्रम मंत्री से मौजूदा श्रम कानूनों का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई। श्रम मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई ऐसी कई वैधानिक और अवैधानिक त्रिपक्षीय कमेटियां हैं जो ठीक से काम नहीं कर रही हैं। ई आर ए पर वैधानिक सलाहकार कमेटी की पिछले 7 वर्षों से बैठक नहीं हुई हैं। प्रतिनिधिमंडल ने तुरंत इन कमेटियों के पुनर्गठन और प्रभावी तरीके से फंक्शनिंग की मांग की। श्रम विभाग में संबद्ध अधिकारियों के लैंगिक सुग्राहीकरण के कार्यक्रम को चलाने की जरूरत है। श्रम विभाग में विशेष सैल बनाए जाने की जरूरत है ताकि महिलाओं के साथ भेदभाव को खत्म करने के लिए की गई कार्रवाई को मॉनीटर किया जा सके।

एक और मुद्दा श्रम कानूनों में परिवर्तनों का था। सी आई टी यू ने वर्तमान श्रम कानूनों में कुछ श्रमिक समर्थक परिवर्तनों की मांग की। असंगठित क्षेत्र और कृषि में कार्यरत महिला मजदूरों समेत सभी कामकाजी महिलाओं को 135 दिन की सवेतन छुट्टी देने के लिए और सभी पुरुष मजदूरों को 15 दिन की सवेतन पितृत्व छुट्टी देने के लिए मातृत्व लाभ कानून में संशोधन किया जाए। उसी प्रकार जहां महिलाएं काम करती हैं उन सभी कार्य स्थलों में क्रैच प्रदान किए जाएं। सी आई टी यू प्रतिनिधिमंडल ने घर आधारित श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए काम की जगह पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनों की भी मांग की।

सी आई टी यू ने महिलाओं के लिए रात के काम पर से पूरी तरह पाबंदी उठाए जाने का भी विरोध किया। महिलाओं के लिए रात के काम की इजाजत केवल उनसे बात करके और महिला मजदूरों तथा उनकी ट्रेड यूनियनों की सहमति से होनी चाहिए।

मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यान से सुनी और समान पारिश्रमिक समते मौजूदा त्रिपक्षीय कमेटियों के तुरंत गठन और उन कमेटियों में एक लैंगिक तत्व का भी वायदा किया। उन्होंने कामकाजी महिलाओं के मुद्दों पर सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करने का वायदा किया। उन्होंने मौजूदा श्रम कानूनों के पालन को मॉनीटर करने में ट्रेड यूनियनों का सहयोग मांगा। सी आई टी यू ने श्रम के संबंध में सर्वेक्षणों और अध्ययनों के संचालनों हेतु कार्मिकों का भी ऑफर दिया।

## कामरेड नृपेन चक्रवर्ती नहीं रहे

कामरेड नृपेन चक्रवर्ती नहीं रहे। जनवादी आंदोलन के इतिहास में उनका जीवन एक शानदार उदाहरण के रूप में सदा याद रखा जाएगा। उनका जन्म वर्ष 1905 में हुआ था। वह अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में ही देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। इसके साथ ही वह श्रमिक आंदोलन में भी भाग लेने लगे थे। जल्दी ही वह मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए और बंगाल के शीर्षस्थ नेताओं में उनका नाम लिया जाने लगा। वह एक सफल पत्रकार भी थे; उन्होंने 'स्वाधीनता' के लिये काम किया था। उसके बाद वह त्रिपुरा चले गए और उस राज्य में उन्होंने वाम आंदोलन के जनाधार को बहुत मजबूत किया। इसी के फलस्वरूप जन जातीय तथा गैर जन जातीय लोगों की एकता का निर्माण करने में सहायता मिली थी। वह सात बार राज्य विधान सभा के सदस्य चुने गए और पूरे दस वर्षों तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे। वह अपने जीवन की अंतिम सांस तक त्रिपुरा में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता रहे। वह आजीवन अविवाहित रहे और उन्होंने अपना जीवन पार्टी कार्यालय अथवा कम्यून में व्यतीत किया था। ब्रिटिश शासन काल तथा उसके बाद कांग्रेस के शासन में वह अठारह वर्षो तक जेल में रहे। बीस दिसम्बर को जब उनका देहांत हुआ तो हजारों लोगों की ओर से उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया गया। सीआइटीयू तथा उसका मुख पत्र 'सीटू मजदूर' उनके देहांत पर गहरा शोक व्यक्त करता है।

# सीआइटीयू कार्य समिति के फैसले

1. श्रमिक वर्ग की मांगों को लेकर स्वतंत्र रूप से देश व्यापी अभियान चलाना और खेतिहर श्रमिकों के लिये सर्वसमावेशी कानून बनाने, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लाभ हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना जिसके लिये सरकार की ओर से धन उपलब्ध कराया जाए, के साथ कानून बनाने, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों का पुनरुद्धार करने, विद्युत अधिनियम 2003 की समीक्षा तथा महिलाओं के लिये कल्याणकारी योजनाएं शुरू किये जाने जैसे मुद्दों जिन्हें सांझे राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल किया गया है, की ओर विशेष तौर पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।
2. एक जन अभियान चला कर आर्थिक नीतियों की दिशा बदलने की मांग की जाए; सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में सरकार की हिस्सेदारी को अनावश्यक तौर पर कम किये जाने जैसी कार्रवाईयों के खिलाफ प्रतिरोध विकसित किया जाए; हवाई अड्डों के निजीकरण और दूरसंचार, नागरिक उड्डयन, बीमा, बैंकों तथा अर्थव्यवस्था के दूसरे सामरिक क्षेत्रों में विदेशी हिस्सेदारी बढ़ाए जाने की कार्रवाईयों का विरोध किया जाए; लघु उद्योगों में उत्पादन के लिये वस्तुओं के आरक्षण को समाप्त किये जाने का विरोध करो; पेट्रोल, डीज़ल तथा रसोई गैस के मूल्यों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग के लिये अभियान चलाओ।
3. न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा के मामले में बुनियादी श्रम कानूनों पर अमल नहीं किया जाता; इनका उल्लंघन सम्बन्धित प्रशासन के संरक्षण में किया जाता है और ट्रेड यूनियन आंदोलन का दमन किया जाता है; एक जोरदार अभियान चला कर बुनियादी श्रम कानूनों को लागू किये जाने की मांग करो।
4. कर्मचारी भविष्य निधि तथा दूसरी बचतों की ब्याज दरों में कमी किये जाने और सरकारी सेवाओं में नये शामिल होने वाले लोगों के लिये नयी परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना और इसके साथ ही योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ पर त्रैमासिक कर लगाए जाने के खिलाफ संघर्ष चलाया जाए और एक संयुक्त ट्रेड यूनियन अभियान चलाया जाए।
5. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करने के काम पर अधिक ध्यान दिया जाए और राज्य एवं जिला स्तरों पर उप समितियों तथा समन्वय समितियों का गठन किया जाए।
6. कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को उठाया जाए और ट्रेड यूनियन स्तर पर संघर्षों का निर्माण किया जाए।
7. विभिन्न औद्योगिक महासंघों के उद्योगवार संघर्षों को प्रोत्साहित किया जाए और इन्हें विकसित करने के लिये पहलकदमियां की जाएं।
8. साम्प्रदायिकता तथा दूसरे विभाजक रुझानों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से अभियान चलाए जाएं और उन्हें सभी स्तरों पर श्रमिक संघों के रोजमर्रा के कामों के साथ जोड़ा जाए।
9. 'काम के अधिकार' को लेकर मार्च – मई 2005 में एक अखिल भारतीय कन्वेंशन के आयोजन के लिये तैयारियां की जाएं।
10. राज्यों में ट्रेड यूनियन स्कूलों का आयोजन किया जाए जिनमें सम्बद्ध यूनियनों की कार्य समितियों के सभी सदस्यों को शामिल किया जाए।
11. सीआइटीयू की सदस्य संख्या चालीस लाख करने का लक्ष्य पाने के लिये दोगुणा शक्ति के साथ प्रयास किये जाएं।
12. देश भर में प्रभावशाली लामबंदी के लिये श्रमिक संघों की प्रायोजन समितियों तथा राष्ट्रीय जन संगठन मंच को सक्रिय करने के लिये गम्भीर प्रयास किये जाएं।

## कामरेड डी शारदा का देहांत

आंध्र प्रदेश में कामकाजी महिला आंदोलन की प्रख्यात नेत्री कामरेड डी शारदा नहीं रहीं। गत 17 दिसम्बर, 2004 को विशाखापत्तनम में एक सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। वह कामकाजी महिलाओं की आंध्र प्रदेश राज्य समन्वय समिति की पहली संयोजक थीं; वह सीआइटीयू की जनरल कौंसिल की सदस्य और कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की सदस्य भी रही थीं। वर्तमान में वह विशाखापत्तनम में डेयरी वर्कर्स यूनियन की महासचिव तथा सीआइटीयू की आंध्र प्रदेश राज्य समिति की सदस्य थीं। उनका देहांत हो जाने से हमने अपने एक अत्यंत समर्पित एवं कठोर परिश्रम करने वाली कामरेड को खो दिया है। वह जीवन भर श्रमिक वर्ग के हितों के लिये समर्पित रहीं थीं। हम उनके पति तथा सीआइटीयू की आंध्र प्रदेश राज्य समिति के अध्यक्ष सीएच नरसिंहा राव, उनकी पुत्री तथा परिवार के दूसरे सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। सीआइटीयू तथा उसका मुख पंत्र 'सीटू मजदूर' उनके देहांत पर गहरा शोक व्यक्त करता है।

# जाति पंचायतों के हुक्म

**टी० के० राजलक्ष्मी**

जब महिला संगठन महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के परंपरागत रूपों से जूझ रहे हैं एक नई विचित्र घटना सामने आ रही है जोकि जनतांत्रिक आंदोलनों के सामने एक प्रमुख चुनौती बन कर खड़ी है। ये परंपरागत जाति पंचायतें हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं हालांकि वे कुछ राज्यों में बहुत अधिक सक्रिय हैं जहां पर बहुत कम सामाजिक या दूसरे सुधार आंदोलन हुए हैं। उनके उभार को चुनी हुई पंचायत मशीनरी (खास तौर से 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के पारित होने के बाद) के सशक्तिकरण तथा आर्थिक लक्षणों के संदर्भ में देखना होगा जो पिछले दशक में देश में सामने आए हैं।

ये जाति पंचायतें व्यक्तियों और समूहों, खास तौर से जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, की जिंदगियों पर और अधिक नियंत्रण हासिल कर रही हैं। इन जाति पंचायतों का काफी आर्थिक और राजनीतिक असर है चूंकि ये राज्य के शासक सामाजिक और राजनीतिक वर्ग से गठजोड़ रखती हैं। इसमें किसी आश्चर्य की बात नहीं है कि केवल वामपंथी पार्टियों और कुछ दूसरे जनतांत्रिक संगठनों ने ही इन जाति पंचायतों के नृशंस आदेशों के खिलाफ आवाज उठाई है। इन जाति पंचायतों ने जाति बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार, गांव से निस्कासन और यहां तक कि हत्या तक के आदेश जारी किए हैं। एक स्पष्टीकरण यह है कि जहां युवक परस्पर क्रियाओं के सामाजिक बंधनों को तोड़ना चाहते हैं तो ये जाति पंचायतें और ये स्वंभू प्रधान समाज पर अपना नियंत्रण खोता हुआ पाते हैं और तब ये अति बर्बर रूपों में अपने नियंत्रण को फिर से कसने का निर्णय करते हैं। एक और कारण है जिसके कारण ये पंचायतें इस तरह प्रतिक्रिया करती हैं। वह यह है कि पिछड़े हुए समूह जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं असर्ट कर रहे हैं। इस असर्ट करने से सामाजिक मानकों और अथोरिटी के दूसरे रूपों को अक्सर चुनौती मिलती है जिसे स्थानीय संपन्न वर्ग स्वीकार नहीं कर पाता। अक्सर जातीय पंचायतों द्वारा तय की गई चरम कार्रवाइयां दूसरे परिवारों के लिए भी एक 'सबक' का काम करती हैं। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी पंचायतें वहीं अपनी गैरकानूनी कार्रवाइयों को अंजाम देने योग्य हैं जहां देश के कानून को समान रूप से और बिना पक्ष पात के लागू नहीं किया जाता। जहां कहीं भी कानून को लागू किया गया है और संवैधानिक प्राधिकरण का उपयोग किया गया है वहां इन जाति पंचायतों को मूंहकी खानी पड़ी है।

अभी हाल ही में एक घटना हरियाणा के झज्जर जिले के गांव असांदा में घटी जिसमें एक युवा दम्पति शामिल था। रामपाल और सोनिया की शादी हो गई थी और कुछ ही महीनों में वे एक बच्चे की उम्मीद में थे, जब गांव की जाति पंचायत ने उनके भविष्य का फैसला करने का निर्णय लिया। उन्होंने कुछ अतर्कसंगत गोत्र नियम के आधार पर फैसला दिया कि वे भाई और बहन थे। इस दंपति ने कोर्ट में शादी की थी, एक दूसरे से प्यार करते थे और अडिग थे। तब पंचायत ने उन्हें गांव से निकालने का फैसला किया। ''लड़की यहां एक बहन की तरह रह सकती है न कि एक बहू की तरह'', असांदा पंचायत ने फैसला दिया। ऐसा एक शिक्षित दलित चुने हुए सरपंच को फैसले से बाहर रख कर किया गया था। यह स्पष्ट था कि गांव जिसमें जाटों का वर्चस्व है, उनका एक दलित से कोई लेना-देना नहीं होगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह चुना हुआ सरपंच था। इस बीच सोनिया को प्रसव पीड़ा हुई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगर एडवा और पी यू सी एल ने हस्तक्षेप न किया होता तो असांदा के इस दंपति का भाग्य तय हो ही गया होता। जहां एडवा ने अपने निरंतर हस्तक्षेप से जनमत तैयार किया और सुनिश्चित किया कि दंपति को गांव से बाहर नहीं निकाला जा सकता, पी यू सी एल अदालत गई और निर्देश हासिल किया जिसने पंचायत के फैसले पर रोक लगाई।

पी यू सी एल द्वारा अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए दायर केस में 15 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। अदालत को खाप पंचायत के अत्यधिक कठोर दृष्टिकोण के बारे में सूचित किया गया जो शादीशुदा दंपति को अपनी शादी खत्म करने को बाध्य कर रही थी और वे घटनाएं सोनिया के अस्पताल में भर्ती कराए जाने का कारण बनीं।

वकील ने तर्क पेश किया कि खाप पंचायतों का पहला केस नहीं था जोकि एक्स्ट्रा जुडिशल पावर्स (न्याय प्रक्रिया के बाहर अधिकारों) का उपयोग कर रहीं थीं और देहात में समानांतर अदालतों का काम कर रही थीं और एक आतंक राज कायम किया था जिसकी ओर स्थानीय प्रशासन भी आंखें मूंदे हुए था। याचिका कर्ता ने खाप पंचायतों की एक्स्ट्रा जुडिशल पावर्स का कानून के बाहर जाकर उपयोग करने के अधिकार को भी चुनौती दी, जोकि

न्याय और कानून के शासन को गंभीर चुनौती पेश कर रही हैं। दो जजों की खंडपीठ, जस्टिस बी के रॉय और जस्टिस सूर्यकांत ने डिप्टी कमिशनर और पुलिस सुपरिंटेंडेंट को प्रताड़ित दंपति की तुरंत रक्षा करने का आदेश दिया और खाप पंचायत तथा और किसी को भी दंपति के जीवन में दखल न देने का आदेश दिया।

वास्तव में, पंचायत को कहा गया कि वह कानूनी रूप से शादीशुदा दंपति के मामले से दूर रहे और हस्तक्षेप न करे।

प्रशासन को परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया। अब मामला उलट गया है और पंचायत प्रधान इस बात से इंकार करता है कि किसी भी मीटिंग में ऐसा कोई फैसला लिया गया है। सोनिया दिवाली की पूर्व संध्या पर अपने पति के घर लौट गई। और जब मीडिया में यह खबर शुर्खियों में थी तभी हरियाणा के एक और हिस्से में एक और जाति पंचायत ने इसी तरह के मामले में एक और परिवार को गाँव से बाहर निकाल दिया। किंतु उसी जिले में झौंदी गाँव में एक और दंपति ने असांदा केस से प्रेरित होकर अदालत में जाने का फैसला किया। दर्शन और आशिष को गोत्र का उल्लंघन करने के लिए पांच वर्ष के लिए गाँव से निकाल दिया। तब उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और अपने गांव में वापस आ गए हैं। केस अदालत में है।

एडवा ने मुद्दे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पहल करने और मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में उठाने की अपील की ताकि जाति पंचायतों की गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाए जाने के निर्देश दिए जा सकें और जिससे अधिकारी रोकथाम के उपाय कर सकें जिसमें इस विशेष अपराध से निपटने के लिए कानून भी शामिल है।

असांदा में चुने हुए प्रतिनिधि की भूमिका पर नजदीक से नजर डालने पर ग्रामीण राजनीति का एक और पहलू सामने आता है। असांदा का चुना हुआ सरपंच राजेश कुमार एक दलित है। यह 'स्वाभाविक' है कि उसे 10 अक्टूबर की राठी खाप बैठक में नहीं बुलाया गया था। उसका इस मामले में अलग विचार हो सकता है चूंकि दंपति असांदा का है। उस पर विचार नहीं किया गया। असांदा की चुनी हुई पंचायत समिति में एक सरपंच, दो महिला पंच और 7 पुरुष पंच हैं, किंतु उनमें से किसी को मीटिंग में नहीं बुलाया गया। ''यदि शक्ति संतुलन बराबर होता तो क्या आप सोचते हैं कि वे उसे बुलाते। वह अनुसूचित जाति का है, इसीलिए उसे नहीं बुलाया'', यह कहना था एक पंचायत समिति सदस्य का, जो जाट है। धर्म सिंह राठी, प्रधान जिसने मीटिंग की अध्यक्षता की, ने अदालत के हस्तक्षेप के बाद की घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ''यह बर्बादी वाली बात रही होती चूंकि एक महिला है और एक दलित सरपंच है।''

7 दिसंबर को एक और केस में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा पुलिस को निर्देश दिया कि वह गुड़गावां के दंपति को सुरक्षा प्रदान करे जिसने अंतर्जातीय विवाह किया है। दंपति, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फर नगर से है, ने 21 जुलाई को मंदिर में शादी की थी। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया चूंकि उनके माता पिता शादी से सहमत नहीं थे और न गांव पंचायत सहमत थी। लड़की के माता पिता जो ऊंची जाति के हैं, ने अपहरण का केस दर्ज कराया और एक और आदमी के साथ उसकी शादी तय कर दी। उसका पति गुड़गावां में बादशाहपुर गांव का है। ग्राम पंचायत ने यहां तय किया कि लड़की को उसके माता-पिता के पास भेज दिया जाए। इस अवसर पर दंपति ने अदालत में अपील की और उनके पक्ष में निर्णय मिला।

जब सामाजिक संगठन को बनाए रखने की आढ़ में परंपरागत कानून चलता है और कानून के रखवाले पीछे हट जाते हैं, तभी व्यक्तियों का स्टैंड कभी-कभी असाधारण प्रभाव रखते हुए प्रभावी होता है। सोनिया ने असाधारण साहस का परिचय देते हुए पंचायत के फैसले को स्वीकार करने से इंकार किया और कहा कि वह रामपाल को अपना भाई स्वीकार करने के बजाय मौत पसंद करेगी। रामपाल की शादीशुदा बहनों ने भी सोनिया द्वारा लिए गए फैसले का पूरा समर्थन किया। ''वे इस तरह की घ्रणित बात सोच भी कैसे सकते हैं। एक अजन्मा बच्चा है उसका भी ख्याल करना चाहिए'', यह कहा रामपाल की बहन शीला ने। वामपंथी दलों, महिला संगठनों और जागरूक मीडिया जिसने इसे काफी प्रचारित किया, के अलावा बहुत कम लोगों ने खाप पंचायत के आदेश के खिलाफ आवाज उठाई।

किंतु दूसरे लोग हैं जिनकी आवाज को दबाया जाता है। कभी-कभी जाति पंचायत ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्य भी अपनों पर ही नृशंसता के साथ बदला लेते हैं। लुधियाना के एक युवा दंपति की हत्या इसी का उदाहरण है। एक जाट सिख लड़की और एक दलित लड़के का विवाह परिवार के भारी विरोध के बाद हुआ। इसी साल 10 जनवरी को उनके क्षत-विक्षत शव मिले: लड़की सात माह के गर्भ से थी। लड़के के पिता जो एक प्रमुख बी एस पी नेता हैं ने आरोप लगाया कि लड़की के माता पिता ने दोनों को मरवा दिया।

उसी प्रकार मेरठ के पास मुंडाली गांव की एक पंचायत ने पिछले साल आदेश दिया कि लड़की को उसके पहले पति के पास वापस कर दिया जाना चाहिए, जो अभी जिंदा है, हालांकि वह अपने दूसरे पति से गर्भवती थी। इसे 'गुडिया' की घटना कहते हैं। पंचायत की बैठक की कार्रवाई एक राष्ट्रीय निजी न्यूज चैनल के स्टूडियो में चली। प्रत्यक्ष तौर पर धर्मसंकट यह था कि पहला पति जो कार्गिल की लड़ाई में लापता हो गया डेढ़ साल

बाद जिंदा लौट आया। टेलीवीजन चैनल ने निर्णय लिया वह बिचौलिए का काम करेगा और तय करेगा कि लड़की किस आदमी के पास रहे। बालिग व्यक्ति की इस जैसे संवेदनशील मामले पर अपनी पसंद के निजी निर्णय समेत हरेक चीज का मखौल बनाते हुए निजी चैनल को अपने दर्शकों को बढ़ाने की चिंता थी। कहने की जरूरत नहीं कि महिला समूहों ने इस घटना पर अस्पष्ट रुख अपनाया और न केवल सामुदायिक पंचायत बल्कि मीडिया की भी आलोचना की जिसने इसमें खुले तौर पर भाग लेकर इसे वैधता प्रदान की।

ऐसे अनेक केस हैं जो पश्चिमी उ०प्र०, हरियाणा और अब और जगह भी हो रहे हैं। अधिकांश खबरें उत्तर और उत्तरी राज्यों से हैं। दूसरे उदाहरण भी हैं : सिआनी ब्लॉक, जबलपुर जिले में तीन दलित महिलाओं के साथ पिछड़ी जाति के पुरुषों (जो कि गांव में शासक वर्ग हैं) ने बलात्कार किया चूंकि एक दंपति—लड़का दलित और लड़की यादव-भाग गए; दौसा जिला, राजस्थान में एक गुज्जर लड़की को उसके परिवार ने जहर दे दिया चूंकि उसका संबंध अपने गांव के एक दलित लड़के से हो गया था—मामले को दबा दिया जाता है। जब महिला समूह शोर मचाते हैं तो प्रशासन जागता है।

यह कोई संयोग की बात नहीं है कि ये घटनाएं उस क्षेत्र में हो रही हैं जो भाजपा शासित राज्य हैं। असहनशीलता के आम वातावरण में इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है और असामाजिक तत्व और शासक वर्गों को उन लोगों पर पलट कर हमला करने का मौका मिलता है जिनसे उनकी ऑथोरिटी को खतरा दिखता है।

□

# सुनामी विनाश के पीड़ितों की सहायता करो!

दक्षिण पूर्वी एशिया में सुनामी की विनाश लीला ने तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन में कहर बरपा दिया है; आप इस घटना से पूरी तरह अवगत हैं; इसके चलते मानवीय जीवन एवं सम्पत्ति की भयंकर क्षति हुई है। हिन्द महासागर के नीचे और इंडोनेशिया के समुद्री तट के समीप आए इस भूचाल जिसे सुनामी कहा जाता है, के कारण दक्षिण एशिया के तटवर्ती क्षेत्र में आई यह सबसे अधिक भयानक आपदा है। प्रचार माध्यमों से प्राप्त समाचारों के अनुसार लगभग दो लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और असंख्य जन अभी तक लापता हैं।

भारत में इस महाविनाश से प्रभावित होने वाले राज्यों में अण्डेमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल तथा आंध्र प्रदेश शामिल है। प्राप्त अनुमानों के अनुसार भारत में मरने वाले लोगों की संख्या लगभग बीस हजार है। कई हजार करोड़ रुपये की सम्पत्ति बर्बाद हो चुकी है। जो लोग किसी न किसी प्रकार बच गए हैं, उनके कष्ट भी कम अकथनीय नहीं हैं। उन्हें शारीरिक तथा मानसिक आघात झेलने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें भीषण आर्थिक संकट तथा कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। सुनामी की लहरों से पीड़ित होने वाले लोग मुख्य रूप से गरीब हैं और वे तटीय इलाकों में रहते हैं। उनमें बड़ी संख्या मछुआरों की है जो समुद्र से मछलियां पकड़ कर अपना जीवन यापन करते हैं।

यह एक राष्ट्रीय आपदा है इसलिए देश के श्रमिक आंदोलन को आगे बढ़कर इस मुश्किल घड़ी में सुनामी की विनाश लीला के कारण पीड़ित लोगों की सहायता करनी चाहिये। इसलिये सी आइ टी यू देश भर के मेहनतकश अवाम से आग्रह करता है कि वे सुनामी पीड़ित लोगों के साथ पूर्ण एकजुटता का इजहार करें और उन्हें राहत पहुंचाने के लिये बढ़ चढ़कर एवं उदारतापूर्वक सहायता दें; राहत कार्यों में भाग लें तथा उनका पुनर्वास के कामों में अपना योगदान दें। हम सी आइ टी यू से सम्बद्ध सभी श्रमिक संघों से अनुरोध करते हैं कि वे सुनामी पीड़ितों की राहत के लिये धन इकट्ठा करें; यह काम तत्काल करने वाला है और इकट्ठा किया गया धन तुरंत सी आइ टी यू केंद्र में भेज दें। हालात की गम्भीरता को देखते हुए राज्य समितियां, हमारे औद्योगिक महासंघ तथा श्रमिक संघ अपने-अपने कोष में से शुरुआती योगदान भेजने की व्यवस्था करें। यहां उल्लेख किया जाना जरूरी होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक इकाईयों ने इस दिशा में पहल कदमी की है; उनके श्रमिकों तथा अधिकारियों ने राहत कोष में अपने एक-एक दिन के वेतन का योगदान दिया है। सी आइ टी यू सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों से अनुरोध करता है कि वे इस सम्बन्ध में किये जाने वाले सभी आह्वानों का पूरे दिल से प्रत्युत्तर दें।

कृपया नोट करें कि इसके लिये आप अपनी सहायता राशि सी आइ टी यू केन्द्र को ''सी आइ टी यू सुनामी पीड़ित राहत कोष'' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करें। इसी बीच सी आइ टी यू केन्द्र ने एक-एक लाख रुपये की राशि तमिलनाडु तथा अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह की अपनी राज्य समितियों को और 50-50 हजार रुपये की राशि केरल तथा आंध्र प्रदेश राज्य समितियों को भेज दी है ताकि वे तत्काल राहत कार्य शुरू कर सकें।

# वित्त मंत्री के साथ बजटपूर्व विचार-विमर्श

12 जनवरी 2005 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी चिदांबरम् ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व बातचीत की। सीटू की ओर से एम के पंधे, अध्यक्ष और चित्तवृत मजूमदार, जनरल सेक्रेट्री ने मीटिंग में भाग लिया।

वित्त मंत्री के साथ विचार-विमर्श में सीटू ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए :

- केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बजट के बाद चर्चा की प्रक्रिया शुरू करना ताकि बजटपूर्व बातचीत की कवायद की सोद्देश्यता का मूल्यांकन हो सके।
- पिछले वर्ष के बजट में जोर दिया गया था कि सरकार को राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बदलाव लाना पड़ेगा। वित्तीय नीतियों के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है जोकि कई उदाहरणों में पूर्व एन डी ए सरकार की गरीब-विरोधी और निगम समर्थक आर्थिक नीतियों का ही अनुसरण था। सीटू ने स्पष्ट बदलाव की मांग की।
- सीटू को रोजगार गारंटी विधेयक जोकि संसद में पेश किया गया है, के लिए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए वायदे को पूरी तरह फीका बनाने पर निराशा हुई है। सीटू राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुरूप कानून में पूरी तरह परिवर्तन चाहती है।
- कर—जी डी पी अनुपात को बढ़ाने के लिए अमीरों को लक्ष्य बनाया जाए।
- सीटू सरकार के सार्वजनिक उद्यमों में अपने शेयर को कम करने और उन्हें बेचने का विरोध करती है। ऋण बाजार का सहारा लेने के बजाय वह इस रास्ते को अपना रही है जबकि बाजार में वित्तीय प्रणाली में ज्यादा लिक्वीडिटी है। विनिवेश चाहे वह सीधे हो या आई पी ओ एस के माध्यम से हो, बंद किया जाए और सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत किया जाए।
- नागरिक उड्डयन, दूरसंचार और बीमा क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा में बढ़ोतरी करने के कदम को रोका जाए।
- ई पी एफ, छोटी बचतों, जी पी एफ, पी पी एफ आदि पर ब्याज की दरें बढ़ाकर 12 फीसद की जाएं।
- आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर एक लाख रु. (मानक कटौती के साथ) या बिना मानक कटौती के 1.5 लाख रु. की जाए।
- चिकित्सा लाभों, छुट्टी की यात्रा रियायतों, शिक्षा, रियायती ब्याज दरों पर आवासीय ऋण, परिवहन, कैंटीन सुविधा, रिहायश तथा अन्य सुविधाओं जैसी मजदूरों के कल्याण संबंधी अनुलाभों पर लगनेवाले ऋण वापस लिए जाएं।
- मानक कटौती के लाभ पेंशनभोगियों, अवकाशप्राप्त लोगों और स्व-रोजगार में लगे लोगों को भी दिए जाएं।
- पेंशन फंड नियमन तथा विकास प्राधिकरण से संबंधित अध्यादेश को वापस लिया जाए और मजदूरों की पेंशन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा संबंधी मामलों पर ट्रेड यूनियनों के साथ विचार-विमर्श किया जाए।
- पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में वृद्धि वापस लो और आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि पर रोक लगाओ।
- कृषि मजदूरों के लिए विधेयक, जिसमें रोजगार नियमन, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान हो, को शीघ्र पारित किया जाए।
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कानून बनाया जाए।
- जनवितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए।
- बीमार/बंद औद्योगिक इकाइयों के औद्योगिक पुनर्गठन के लिए एक अलग विभाग बनाया जाए।
- 99,183 करोड़ रु. के बकाया करों को वसूल किया जाए।

---

के हेमलता द्वारा आल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स के लिए, ए-13, राऊज एवेन्यू नई दिल्ली -2 से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित